न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावक पदार्थ अधिनियम प्रकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र दीक्षित

निर्णय दिनांकः 04.07.2026

नियमित आपराधिक प्रकरण (CIS) संख्याः– 79/2022

सरकार बनाम पिन्टू व अन्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–213/2021 थाना रवांजना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।

अपराध अंतर्गत धारा– 8/21, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

भाग प्रथम

A

परिवादी/मजरूब	मुकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी रवांजना डूँगर, जिला सवाई माधोपुर।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. पिन्टू कुमार पुत्र नाहर सिंह उम्र 25 साल निवासी सुपडया का पुरा पिलौदा थाना पिलौदा जिला सवाई माधोपुर। 2. राकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल उम्र 34 साल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर। 3. विकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल उम्र 28 साल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर। 4. राहुल पुत्र रामकेश उम्र 23 साल निवासी बाड़ौली पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर। 5. इन्द्रजीत पुत्र रामदयाल उम्र 32 साल निवासी हाण्डी पुलिस थाना छीपा बड़ौद जिला बारां।
अधिवक्ता अभियुक्त पिंटी, राकेश, विकेश, राहुल	श्री भोलाशंकर शर्मा, श्रीमती जूली खण्डेलवाल, श्री तनय शंकर शर्मा।
अधिवक्ता अभियुक्त इन्द्रजीत	श्री अब्दुल हासिब व श्री हयात अली।

B

अपराध की दिनांक	17.08.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	18.08.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.08.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.02.2023

साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	13.04.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	19.06.2026
निर्णय दिनांक	04.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	04.07.2026

C

अभियुक्त का विवरण

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	पिन्टू कुमार	18.08.2021	21.09.2021	8/21 NDPS Act	**दोषसिद्ध**	कारावास व अर्थदण्ड	18.08.2021 से 21.09.2021
02	इन्द्रजीत	19.05.2022	24.05.2022	8/29 NDPS Act	दोषमुक्त	-	-
03	विकेश कुमार	18.08.2021	21.09.2021	8/21 NDPS Act	**दोषसिद्ध**	कारावास व अर्थदण्ड	18.08.2021 से 21.09.2021
04	राहुल	18.08.2021	21.09.2021	8/21 NDPS Act	**दोषसिद्ध**	कारावास व अर्थदण्ड	18.08.2021 से 21.09.2021
05	राकेश	18.08.2021	29.09.2021	8/21 NDPS Act	**दोषसिद्ध**	कारावास व अर्थदण्ड	18.08.2021 से 29.09.2021

भाग -द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	नन्दराम	कार्यवाही का गवाह
पी.डब्ल्यू.2	बसराम	कार्यवाही का गवाह
पी.डब्ल्यू.3	मुकेश	परिवादी व कार्यवाही का गवाह
पी.डब्ल्यू.4	धर्मराज	एफएसएल में माल जमा करवाने सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.5	रामअवतार	कार्यवाही का गवाह

पी.डब्ल्यू.6	राजेश	कार्यवाही का गवाह
पी.डब्ल्यू.7	राहुल सिंह	कार्यवाही का गवाह
पी.डब्ल्यू.8	दिनेश्वर शाह	नोटरी पब्लिक इकरारनामा अटेस्टेशन बाबत
पी.डब्ल्यू.9	बहादुर सिंह	वाहन विक्रय करने सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.10	हरिमोहन	वाहन विक्रय सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.11	हनुमान सिंह	ई मित्र संचालक, रूपये निकालने सम्बन्धी
पी.डब्ल्यू.12	बत्तीलाल	नक्शा मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू.13	बलवीर सिंह	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू.14	भगवान लाल	अन्वेषण अधिकारी
पी.डब्ल्यू.15	हुकमाराम	नक्शा मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू.16	ज्ञान सिंह	वाहन बेचने सम्बन्धी

ब- बचाव गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	-	-

स- न्यायालय गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ- अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
01	प्रदर्श पी.1	नोटिस तलबी गवाहान
02	प्रदर्श पी.2	फर्द सहमति गवाहान
03	प्रदर्श पी.3	फर्द जामा तलाशी
04	प्रदर्श पी.4	फर्द नमूना सील
05	प्रदर्श पी.5	फर्द नष्टीकरण
06	प्रदर्श पी.6 लगायत प्रदर्श पी 9	फर्द सूचना धारा 52 एनडीपीएस एक्ट

07	प्रदर्श पी.10	फर्द चैकिंग व जप्ती स्मैक
08	प्रदर्श पी.11	फर्द जप्ती वाहन
09	प्रदर्श पी.12	फर्द गिरफ्तारी पिन्टू कुमार
10	प्रदर्श पी.13	फर्द गिरफ्तारी राकेश
11	प्रदर्श पी.14	फर्द गिरफ्तारी विकेश
12	प्रदर्श पी.15	फर्द गिरफ्तारी राहुल
13	प्रदर्श पी.16	घटनास्थल का नक्शामौका
14	प्रदर्श पी.17	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र
15	प्रदर्श पी.17	रोजनामचा रपट
16	प्रदर्श पी.18	पर्चा कायमी
17	प्रदर्श पी.19	एफआईआर
18	प्रदर्श पी.20	नोटिस धारा 55 एनडीपीएस
19	प्रदर्श पी.21	सूचना दफा धारा 57 एनडीपीएस एक्ट
20	प्रदर्श पी.22	रसीद
21	प्रदर्श पी.23	इकरारनामा
22	प्रदर्श पी.24	फर्द गिरफ्तारी इन्द्रजीत
23	प्रदर्श पी.25	घटनास्थल का नक्शामौका
24	प्रदर्श पी.26ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
25	प्रदर्श पी.27	नोटिस धारा 52 एनडीपीएस एक्ट
26	प्रदर्श पी.28	फर्द इत्तला अभियुक्त पिन्टू
27	प्रदर्श पी.29	फर्द इत्तला अभियुक्त राकेश
28	प्रदर्श पी.30	फर्द इत्तला अभियुक्त विकेश
29	प्रदर्श पी.31	फर्द इत्तला अभियुक्त राहुल
30	प्रदर्श पी.32	फर्द इत्तला अभियुक्त राकेश
31	प्रदर्श पी.33	फर्द इत्तला अभियुक्त इन्द्रजीत
32	प्रदर्श पी.34	घटनास्थल का नक्शामौका
33	प्रदर्श पी.35	घटनास्थल का नक्शामौका
34	प्रदर्श पी. 36	आरसी प्रमाण पत्र
35	प्रदर्श पी.37 लगायत प्रदर्श पी.41	रोजनामचा रपट
36	प्रदर्श पी.42	एफएसएल रिपोर्ट
37	प्रदर्श पी.43	इन्वेन्ट्री रिपोर्ट

38	प्रदर्श पी. 44	मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र
39	प्रदर्श पी. 45 लगायत प्रदर्श पी. 55	फोटोग्राफ्स
40	प्रदर्श पी. 56 व 57	आपराधिक रिकॉर्ड

नोटः प्रदर्श पी.17 त्रुटिवश दो प्रालेख क्रमशः धारा-65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम व नकल रोजनामचा रपट पर अंकित किये गये हैं।

ब- बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
	-	

स- न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
	-	

द- भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
1	आर्टिकल 1	पैकेट मार्क ए
2	आर्टिकल 2	पैकेट मार्क बी

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी मुकेश कुमार उप निरीक्षक ने दिनांक 18.08.2021 को पर्चा प्रदर्श पी.18 इन तथ्यों के साथ कायम किया कि दिनांक 17.08.2021 को समय 10 पी०एम० पर वह मय पुलिस जाप्ता नन्दराम स.उ.नि., राहुल कानि. 959, बसराम कानि. 1167, मुनिराज कानि. 654, धर्मराज कानि. 617, राजेश कानि. 1102, रामवतार कानि. 1030 मय जीप सरकारी चालक लखपत कानि. 1184 के मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटॉप, मय प्रिन्टर मय ड्रेगन लाईट के पंचायत राज चुनाव को मध्य नजर रखते हुऐ वास्ते करने गस्त व चैकिंग बदमाशान व अवैध गतिविधियां रोकथाम थाने से रवाना होकर गश्त इलाका टोडरा, फलोदी, पांचोलास, खिजूरी कोटा लालसोट मेगा हाईवे करता हुआ 11.20 पी.एम. पर मेगा हाईवे उण्डी गडार पुलिया रवांजना चौड पहुंच कर नाकाबन्दी कर वाहन चैकिंग शुरू की गई। दौराने चैकिंग 11.30 पी एम पर एक बोलेरो गाडी रंग सफेद कोटा की तरफ से आती हुई नजर आई जो पुलिस नाकाबंदी को देखकर गाडी को कोटा की तरफ मोडने का प्रयास किया जिस पर परिवादी व जाप्ता को उक्त बोलेरो गाडी पर संदेह होने के कारण घेरा देकर रोका गया जिसमें चार व्यक्ति सवार थे जो पुलिस को देखकर घबराने लगे एवं वापस

मुडने के संबंध में कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। परिवादी द्वारा उक्त चारों शख्सों से नाम, पता पूछा तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने घबराते हुए अपना नाम पिन्टू कुमार पुत्र नाहर सिंह उम्र 25 साल जाति मीणा निवासी सुपडया का पुरा, पीलोदा थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। चालक की बगल की सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम राकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल उम्र 34 साल जाति मीना निवासी नटवाडा पट्टी थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। बीच की सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों से अपना नाम पूछा तो तीसरे ने अपना नाम विकेश कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल उम्र 28 साल जाति मीना निवासी नटवाडा पट्टी पीलोदा थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर व चौथे ने अपना नाम राहुल पुत्र श्री रामकेश मीना उम्र 23 साल जाति मीना निवासी बडौली थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। उक्त चारों शख्सों से पुलिस जाप्ते को देखकर वापस कोटा की तरफ मुडकर जाने के संबंध में पूछने पर संतोषप्रद जबाव नहीं दिया जिस पर शंका हुई कि अवश्य ही कोई आपत्तिजनक वस्तु इनके पास है। इस पर गाडी को रोड की साईड में खडी कर उक्त चारों शख्सों को गाड़ी से नीचे उतार कर डिटेन किया गया तथा उक्त शख्सों की तलाशी हेतु आसपास से दो स्वतंत्र गवाह लाने बाबत नन्दराम स.उ.नि. को लिखित में नोटिस दिया जाकर रवाना किया गया जिसने वापसी पर बताया कि रात्री का समय होने के कारण एवं सुनसान जगह होने के कारण आस-पास स्वतंत्र गवाह नहीं मिल सका तथा मेगा हाईवे पर आने वाले वाहन को रुकवाकर उक्त कार्यवाही में गवाह बनाने के लिए कहा गया तो सभी ने कहा कि हम दूर के रहने वाले हैं कोई कानूनी कार्यवाही में पड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी सूरत में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। स्वतन्त्र गवाह के अभाव में हमराह जाप्ता में से नन्दराम स.उ.नि. व रामअवतार कानि. 1030 को शख्सों की तलाशी में गवाह बनने बाबत नोटिस दिया जाकर लिखित सहमति प्राप्त की। तदुपरान्त मौके पर प्रकाश की व्यवस्था ड्रेगन लाईट व सरकारी गाडी की लाईट से की जाकर परिवादी मुकेश कुमार ने गवाहान को स्वयं की तलाशी दी तथा गवाहान की एसएचओ मुकेश कुमार उ0नि0 ने तलाशी ली तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस पर एस.एच.ओ. मुकेश कुमार उ0नि0 द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष शख्स पिन्टू कुमार की तलाशी ली गई तो अलावा पहने हुऐ कपड़ों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। दूसरे शख्स राकेश कुमार की तलाशी लगी गई तो अलावा पहने हुऐ कपडों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। तीसरे शख्स विकेश कुमार की तलाशी ली गई तो अलावा पहने हुऐ कपडों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। चौथे शख्स राहुल की तलाशी ली गई तो तो अलावा पहने हुऐ कपडों व दैनिक उपयोग की चीजों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। तत्पश्चात हर चारों पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार, राहुल के कब्जे शुदा बोलेरो गाडी RJ-14-UG-7507 में संदिग्ध वस्तु

की तलाशी उपरोक्त गवाहान के समक्ष ली गई तो गाडी के डेसवॉर्ड के अन्दर एक सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की थैली मिली जिसके अन्दर सफेद रंग का मटमैला पदार्थ भरा हुआ नजर आया, मटमैले पदार्थ को देखा, सुंघा, परखा तो अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ स्मैक होना पाया गया। गवाहान को भी दिखाया सुंघाया तो मादक पदार्थ स्मैक होना बताया। उक्त पदार्थ के बारे में उक्त चारो शक्सों से पूछने पर उन्होंने भी मादक पदार्थ स्मैक ही होना बताया। इलेक्ट्रोनिक कांटा निकालकर तौल किया तो प्लास्टिक पन्नी सहित कुल वजन 72.82 ग्राम तथा मादक पदार्थ स्मैक का शुद्ध वजन कुल 71.56 ग्राम हुआ। उक्त चारों शख्स से अपने पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो किसी ने भी कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया।

2. इस प्रकार चारो शख्सों 1. पिन्दु कुमार मीना 2. राकेश कुमार मीना, 3. विकेश कुमार मीना, 4. राहूल मीना का उक्त कृत्य अपराध धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन दण्डनीय है। उक्त थैली सील्ड मोहर कर मार्क A एवं B दिया गया। 71.56 ग्राम स्मैक में मे 5-5 ग्राम के दो मैम्पल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल निकाले जाकर छोटी बची स्मैक 61.56 ग्राम को उसी प्लास्टिक की पारदर्शी थेली को प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील मोहर कर मार्क अंकित किया गया एवं मादक पदार्थ अवैध स्मैक के परिवहन में प्रयुक्त उक्त वाहन बोलेरो रंग सफेद नम्बर RJ14 UG 7507 को पृथक से जरिये फर्द जब्ती बतौर बजह सबूत जब्त किया गया। मुलजिमान 1. पिन्टू कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह उम्र 25 माल जाति मीणा निवासी सुपडया का पूरा पीचोदा, 2. राकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल उम्र 34 साल जाति मीना निवासी नटवाडा पट्टी थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर, 3. विकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल उम्र 28 साल जाति मीना निवासी नटवाडा पट्टी पीलोदा थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर, 4. राहुल पुत्र रामकेश मीना उम्र 23 साल जाति मीना निवासी बढौली थाना वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर द्वारा बोलेरो गाडी में अवैध मादक पदार्थ को अपने कब्जे में रखकर परिवहन करना जुर्म धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर धारा 52 NDPS ACT का पृथक पृथक नोटिस दिया जाकर गिरफ्तार किया एवं मौके से जप्तशुदा आर्टीकल मार्क A,B,C मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण बन्द हवालात थाना कराया गया एवं जप्त शुदा वाहन बोलेरो को थाना परिसर में सुरक्षार्थ खडा किया जाकर संतरी को समलाया गया तथा जप्त शुदा आर्टिकल मार्क A,B,C जमा मालखाना करवाया गया।

3. उक्त मजमून पर्चा कायमी पर अभियोग संख्या 213/2021 धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम कायम कर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौराने गवाहान के बयान लिए, नक्शा मौका बनाया, फर्द इत्तला दर्ज की गयी, फर्द जप्ती तैयार कर जप्त शुदा माल का नमूना जांच हेतु एफएसएल भिजवाया तत्पश्चात अन्य

आवश्यक एवं नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण पिंटू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल के विरूद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 व अभियुक्त इन्द्रजीत के विरूद्ध धारा–8/29 स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अपराध साबित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण पिंटू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल के विरूद्ध धारा–8/21 स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 व अभियुक्त इन्द्रजीत के विरूद्ध धारा–8/29 स्वापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 **(जिसे आगे "अधिनियम" कहकर सम्बोधित किया जाएगा)** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 व 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ सं. 3 से 5 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना व टारगेट पूरा करने के लिए झूठा फंसाया जाना बताया। बचाव में साक्ष्य पेश करने से इनकार किया।

7. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप भलीभांति साबित होते हैं। उनका तर्क है कि पुलिस पार्टी की सामान्य चैकिंग के दौरान मादक पदार्थ वाहन से बरामद हुआ इसलिए न तो अधिनियम की धारा-42 की पालना आवश्यक थी न ही अधिनियम की धारा 50 की। उनका तर्क है कि जप्ती अधिकारी सहित सभी पुलिसकर्मीगण ने अपने सशपथ कथनों में घटनाक्रम को पूर्णतया साबित किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अपनी मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही कथन किये हैं, अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दी जाए।

8. अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान लोक अभियेाजक की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः-

(1) Appeal (Cri.) 918 of 1998
State of Haryana Vs Jarnail Singh and Anr.
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2004

(2) CRM-M 22004 of 2020
Pushpinder Sing Vs State of Punjab

में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021

(3) Appeal (Cri.) 222 of 1997
State of Himachal Pradesh Vs Pawan Kumar
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2005

(4) 2012(1) CJ(Cri.)(Raj.) 83
Ramdhan Vs State of Raj.

(5) 2012(2) CJ (Cri.)(Raj.) 765
Salim Khan Vs The State of Raj.

(6) 2011(2) CJ (Cri.)(SC) 456
Jarnil Singh Vs State of Punjab

(7) Appeal (Cri.) 396 of 1998
State of Punjab Vs Baldev Singh
में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-07-1999

(8) 2021(1) CJ(Cri.)(SC) 317
Rizwahan Khan Vs State of Chhattisgarh

9. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए अभियुक्त इन्द्रजीत की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल हासिब ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पत्रावली पर अभियुक्त इन्द्रजीत के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त इन्द्रजीत को मात्र सहअभियुक्तगण द्वारा बताने के आधार पर अपराध में लिप्त माना गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अतः अभियुक्त इन्द्रजीत को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. अभियुक्तगण पिंटू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भोलाशंकर शर्मा ने विद्वान लोक अभियोजक के तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 व 50 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तथा उप निरीक्षक ने जब तलाशी ली तो स्वयं की तलाशी दी ही नहीं। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य से इस बात का कोई विवरण नहीं मिलता है कि किन व्यक्तियों से गवाह बनने को पूछा गया और उन्होंने इनकार किया और यदि उन्होंने गवाह बनने से इनकार किया तो उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उनका तर्क है कि स्वतंत्र गवाह जान-बूझकर नहीं बनाये गये, अतः मात्र पुलिसकर्मी साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका

तर्क है कि गाड़ी में जो स्मैक मिलना बताया गया है वह अभियुक्तगण के चैतन्य कब्जे में थी इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है, न ही जप्ती अधिकारी ने इस बारे में काई प्रश्न अभियुक्तगण से पूछा। उनका यह भी तर्क है कि पुलिस पार्टी जिस जीप से गई उस जीप की लॉग बुक भी साक्ष्य में पेश नहीं की गई है न ही तलाशी के दौरान उच्चाधिकारियों को कोई सूचना दी गई है। उनका यह भी तर्क है कि अभियोजन कहानी के अनुसार पुलिस पार्टी को देखकर के अभियुक्तगण ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की थी लेकिन नक्शा मौका में गाड़ी मुड़ी हुई नहीं दिखाई गई है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि सभी पुलिसकर्मीगण रटे-रटाये बयान दे रहे हैं जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अन्त में अभियुक्तगण को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः-

(1) (2014) 1 DC (नशीले पदार्थ) 390
भारत संघ बनाम जगवीर सिंह

(2) (2021) AIR (SC) 1913
बूटा सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(3) (2010) 88 AIC 28
करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

(4) (2009) 1 Cr.L.R 717
ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य

(5) (2008) MCR 806
तिरूपति वालाल बनाम महाराष्ट्र राज्य

(6) (2014) ALLMR (Cr.) 1558
मीर मुरादली खुर्शीद अली बनाम महाराष्ट्र राज्य

(7) (1999) 2 RCR (Cri.) 853
सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य

(8) (1998) Cr.L.J 166
खुर्शीद अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

(9) (2019) 1 RCR (Cri.) 65
धरमबीर बनाम राज्य

(10) (2011) 2 RLW 1302
हुसैन मोहम्मद बनाम राज्य

11. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होते हैंः-

(1) क्या दिनांक 17.08.2021 को रात्रि 11.30 बजे अभियुक्तगण पिंटू राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल के कब्ज शुदा वाहन से 71.56 ग्राम स्मैक बरामद हुई जो उनके चैतन्य कब्जे में थी ?

(2) क्या उपरोक्त बरामद शुदा स्मैक अभियुक्तगण पिंटू, राकेश, विकेश व राहुल को अभियुक्त इन्द्रजीत द्वारा विक्रय की गई थी ?

12. उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर था। इस संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 16 गवाहों को साक्ष्य में पेश कर परीक्षित करवाया गया है व प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.57 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये हैं तथा आर्टिकल 1 व 2 को प्रदर्शित करवाते हुए सैंपल आर्टिकल 1 व 2 न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं।

विचारणीय बिन्दु संख्या- 1

क्या दिनांक 17.08.2021 को रात्रि 11.30 बजे अभियुक्तगण पिंटू, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल के कब्ज शुदा वाहन से 71.56 ग्राम स्मैक बरामद हुई जो उनके चैतन्य कब्जे में थी ?

13. इस प्रकरण से सम्बन्धित अभियोजन कहानी की शुरूआत दिनांक 17.08.2021 को 11.30 पी.एम. पर होती है जब थानाधिकारी मुकेश कुमार, उप निरीक्षक मय पुलिस जाब्ता थाना रंवाजनाडूँगर गश्त करते हुए मेगा हाईवे उण्डी गडार पुलिया, रंजवानाचौड़ पर नाकाबन्दी की एवं नाकाबन्दी के दौरान कोटा की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आती नजर आई जो पुलिस नाकाबन्दी को देख वापस कोटा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जिसे जाप्ते की मदद से रोका गया जिसमें चार व्यक्ति बैठे हुए थें। उनसे नाम, पता पूछने पर अपने नाम पिन्टू कुमार पुत्र नाहर सिंह, राकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल, विकेश कुमार पुत्र मुरारीलाल व राहुल पुत्र रामकेश बताये एवं उक्त बोलेरो गाड़ी संख्या RJ14 UG 7507 में एक प्लास्टिक की थेली में पन्नी सहित 72.82 ग्राम शुद्ध वजन 71.56 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ।

14. जप्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू.3 ने समस्त घटनाक्रम का सिलसिलेवार कथन करते हुए अभियोजन कहानी के अनुरूप सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 17.08.2021 को पुलिस थाना रवांजना डूंगर पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन रात्रि दस बजे वह, नन्दराम

एएसआई, बसराम कॉनिस्टेबल, राहुल कॉनिस्टेबल, मुनीराज, धर्मराज, राजेश, रामवतार कॉनिस्टेबल मय जीप सरकारी चालक लखपत कॉनिस्टेबल के वास्ते करने चैकिंग बदमाशान व गश्त फलौदी, टोडरा, पांचोलास, खिजूरी, करता हुआ लालसोट मेगा हाईवे पर समय 11.20 पीएम पर पहुंचकर उण्डी गडार पुलिया रवाजना चैड पर पहुंचकर नाकाबन्दी शुरू की तब समय 11.30 पीएम पर कोटा की तरफ से एक सफेद रंग की बोलेरो आती हुई दिखायी दी, जो पुलिस की नाकाबन्दी को देखकर वापस मुड़ने का प्रयास करने लगी, जिस पर शक होने पर उसे अवरूद्ध करके पकड़ा व चैक किया तो उसमें चार व्यक्ति बैठे हुये थे जो पुलिस जाप्ता को देखकर हड़बड़ाया और हड़बड़ाने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिस पर उनसे नाम पता पूछे तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पिन्टू मीना, चालक की सीट के बगल में बैठे व्यक्ति ने राकेश एवं पीछे की सीट पर बैठे दो व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम विकेश एवं दूसरे ने अपना नाम राहुल होना बताया। इस पर उनके पास कोई संदेहास्पद वस्तु एवं अवैध खतरनाक वस्तु होने पर उनसे गाड़ी रोड़ में एक साईड करवाकर उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। उनकी तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र गवाह हेतु नन्दराम एएसआई को हुक्मनामा देकर रवाना किया, थोडी देर बाद आकर एएसआई ने बताया कि रात्रि का वक्त होने के कारण और आने जाने वाले वाहनों को गवाह बनने के लिए कहा लेकिन गवाह बनने के लिए मना कर दिया। इस पर मौजूदा जाप्ता में से ही गवाह मामुर कर उनकी लिखित सहमति प्राप्त की गयी। लिखित सहमति देने पर उक्त चारों आरोपियों से गवाहान और स्वयं की तलाशी लिवायी गयी और कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली। उक्त चारों व्यक्तियों की बारी-बारी से तलाशी ली गयी तो कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली।

15. इस जप्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू.3 के अनुसार उक्त बोलेरो नम्बर आरजे 14 यू.जी. 7507 की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के डैश बोर्ड में एक सफेद रंग की पारदर्शी थैली मिली, जिसमें मटमैले रंग का पदार्थ था, जिसको चैक किया एवं मुलजिमानों से पूछताछ की तो उक्त पदार्थ स्मैक होना बताया। उक्त स्मैक प्लास्टिक पन्नी सहित कुल वजन 72.82 ग्राम एवं शुद्ध वजन 71.56 ग्राम होना पाया गया जिस पर उक्त चारों से उक्त स्मैक का परिवहन करने बाबत कोई वैध अनुज्ञापत्र बाबत पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त स्मैक 71.56 ग्राम में से पांच-पांच ग्राम नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल सफेद पारदर्शी थैली में निकालकर सील मोहर कर मार्क ए एवं बी अंकित किया गया शेष बची 61.56 ग्राम स्मैक को उसी पारदर्शी थैली में डालकर एक सफेद प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर सील मोहर कर मार्क सी अंकित किया गया व नमूना सील तैयार कर कार्यवाही कर नष्ट की गयी। घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त किया एवं उक्त चारों को गिरफ्तार किया।

16. जप्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू.3 ने यह भी कथन किया है कि जप्तशुदा माल को मालखाना इंचार्ज को धारा 55 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिसील करवाया गया व जप्तशुदा बोलेरो को थाना परिसर में खड़ा किया गया एवं धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश उच्चाधिकारियों के आदेश से भगवानलाल एसएचओ खण्डार के जिम्मे की गयी। उक्त कार्यवाही की सूचना दूसरे दिन दिनांक 18.08.2021 को उच्चाधिकारियों को विशेष वाहक द्वारा भिजवायी गयी। दिनांक 17.08.2021 को थाने से गश्त हेतु रवानगी करने की रपट रोजनामचे में अंकित की गयी थी, जो प्रदर्श पी 17 है।

17. जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.3 मुकेश ने यह भी कथन किया कि गवाहान की तलबी हेतु नोटिस प्रदर्श पी 1 है जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर नन्दराम एएसआई के हस्ताक्षर है। फर्द सहमति गवाहान प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर दो जगह उसके हस्ताक्षर है। फर्द जामा तलाशी गवाहान व थानाधिकारी प्रदर्श पी 3 पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम पिन्टू के, जी से एच राकेश, आई से जे विकेश एवं के से एल स्थान पर आरोपी राहुल के हस्ताक्षर है एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 4 पर जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम पिन्टू के, जी से एच राकेश, आई से जे विकेश एवं के से एल स्थान पर आरोपी राहुल के हस्ताक्षर है एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। सूचना धारा 52 गिरफ्तारी की मुलजिमानों को दी गयी। मुलजिम पिन्टू, राकेश, विकेश, राहुल को दी गयी सूचना प्रदर्श पी 6 लगायत 9 है, जिन पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम के एवं जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द चैकिंग एवं जप्ती अवैध मादक पदार्थ प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम पिन्टू के, जी से एच राकेश, आई से जे विकेश एवं के से एल स्थान पर आरोपी राहुल के हस्ताक्षर है एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द जप्ती बोलेरो गाडी प्रदर्श पी 11 है, ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम पिन्टू के, जी से एच राकेश, आई से जे विकेश एवं के से एल स्थान पर आरोपी राहुल के हस्ताक्षर है एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पिन्टू, राकेश, विकेश, राहुल प्रदर्श पी 12 लगायत 15 है, जिन पर ए से बी सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के एवं जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी भगवान लाल द्वारा फर्द निरीक्षण एवं नक्शा मौका तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पर्चा

कायमी प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 19 है, जिस पर भी ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। धारा 55 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस बलवीर सिंह हेडकॉनिस्टेबल को दिया गया था, जो प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर बलवीर के हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दफा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। यह समस्त कार्यवाही रात्रि के समय ड्रेगन लाईट के उजाले में की गयी थी।

18. इस जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.3 मुकेश की साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध किये जाने के दौरान इस प्रकरण से सम्बन्धित माल वजह सबूत भी शील्ड अवस्था में पेश हुआ, इसके सम्बन्ध में जप्ती अधिकारी ने कथन किया है कि सील शुदा पैकेट मार्क ए आर्टिकल 1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सील शुदा पैकेट मार्क बी आर्टिकल 2 जिस पर जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम पिन्टू के, जी से एच राकेश, आई से जे विकेश एवं के से एल स्थान पर आरोपी राहुल के हस्ताक्षर है एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है।

19. जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.3 मुकेश के द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम के सम्बन्ध में किये गये उपरोक्त सशपथ कथनों की पुष्टि घटना स्थल पर उपस्थित पुलिसकर्मी साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 नंदराम, पी.डब्ल्यू.2 बसराम, पी.डब्ल्यू. 4 धर्मराज, पी.डब्ल्यू. 5 रामअवतार, पी.डब्ल्यू.6 राजेश व पी.डब्ल्यू. 7 राहुल सिंह ने भी की है। उपरोक्त सभी अभियोजन साक्षीगण ने अपने सशपथ कथनों में घटनाक्रम का एक रूप विवरण देते हैं एवं अपनी प्रतिपरीक्षा में भी इन सभी साक्षीगण ने इसी अनुरूप कथन किए हैं। इन पुलिसकर्मी साक्षीगण के सशपथ कथनों में ऐसी कोई गंभीर विसंगति सामने नहीं आती जो इन पुलिसकर्मी साक्षीगण या घटनाक्रम की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न करता हो।

20. इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 ने इस प्रकरण में किए गए अनुसंधान का विस्तृत विवरण देते हुए गवाहों के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध किया जाना कहा है व जप्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू. 3 की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द तैयार किया जाना कहा है। इस अन्वेषण अधिकारी भगवान लाल पी.डब्ल्यू. 14 के अनुसार अभियुक्त पिन्टू, राकेश, विकेश व राहुल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की स्वैच्छा पूर्वक इत्तला दी कि जिस स्थान से अवैध मादक पदार्थ स्मैक खरीदकर लाये हैं वह स्थान चलकर बताना चाहते हैं। उक्त सूचना पर हर चारों की निशादेही से स्मैक खरीदने के स्थान की मौका तस्दीक फर्द मुर्तिब की गयी। अभियुक्त इन्द्रजीत के विरूद्ध 8/29 एनडीपीएस का अपराध

प्रमाणित पाये जाने से धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इन्द्रजीत की धारा 27 की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने के स्थान की तस्दीक करायी गयी। अभियुक्त राकेश ने धारा 27 की सूचना दी कि अवैध मादक पदार्थ स्मैक इन्द्रजीत से खरीदकर लाये, उक्त इन्द्रजीत का मकान चलकर बताना चाहता हूँ। उक्त सूचना पर अभियुक्त द्वारा इन्द्रजीत के मकान की तस्दीक करायी। वाहन बोलेरो के स्वामित्व संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। वाहन मालिक बहादुर मीना को तलब कर तफ्तीश की गयी। बहादुर मीना द्वारा इकरारनामा पेश किया, जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

21. इस अन्वेषण अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 के अनुसार उसके द्वारा थानाधिकारी रवांजना डूंगर मुकेश की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 16 बनाया जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ स्थान पर मुकेश थानाधिकारी के हस्ताक्षर है एवं जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। समस्त फर्दात को मौके पर ही लेपटॉप से तैयार करने वाले बसराम कॉनिस्टेबल से धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 17 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, जिस पर ई से एफ स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताये। एसएचओ रवांजना डूंगर की कार्यवाही हेतु रवानगी की रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी स्थान पर स्वयं के हस्तााार होना बताये। जप्तशुदा बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूजी 7507 के वाहन मालिक बहादुर सिंह मीना द्वारा उसके बेचान से संबंधित इकरारनामा उसके समक्ष पेश किया था जो प्रदर्श पी 23 है जिसे प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम इन्द्रजीत की गिरफ्तारी प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ स्थान पर मुलजिम इन्द्रजीत के एवं जी से एच स्थान पर उसके छोटे भाई के हस्ताक्षर है एवं आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम इन्द्रजीत की निशादेही से घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.25 तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर मुलजिम इन्द्रजीत के हस्ताक्षर है एवं आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त इन्द्रजीत को गिरफ्तारी से पूर्व धारा 52 का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी, सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ स्थान पर मुलजिम के एवं जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

22. अन्वेषण अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 के अनुसार अभियुक्त पिन्टू, राकेश कुमार, राहुल व विकेश कुमार द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक खरीदने के स्थान की दी गई इत्तला क्रमशः प्रदर्श पी 28 लगायत 31 है, जिन पर ए से बी स्थान पर गवाह महावीर के, सी से डी स्थान पर अभियुक्त एवं ई

से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा सूचना दी कि उसने व पिन्टू कुमार, विकेश कुमार, राहुल ने जिस व्यक्ति इन्द्रजीत से स्मैक खरीदी थी, उसके मकान को चलकर बताना चाहता हूं। फर्द सूचना प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी गवाह महावीर, सी से डी अभियुक्त राकेश के एवं ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त इन्द्रजीत द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि उसने राकेश मीना व उसके अन्य साथियों को स्मैक जिस स्थान पर बेची उस स्थान को चलकर बताना चाहता हूँ, जिसकी फर्द सूचना प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी गवाह महावीर, सी से डी स्थान पर अभियुक्त इन्द्रजीत के हस्ताक्षर है एवं ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त पिन्टू, राकेश कुमार, राहुल व विकेश कुमार की मुताबिक सूचना पर स्मैक खरीदने के स्थान की कोटा से ईटावा जाने की रोड़ की तस्दीक करायी जो प्रदर्श पी 34 है जिस पर ए से बी सी से डी स्थान पर गवाहान के, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल स्थान पर मुलजिमान के एवं एम से एन स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त राकेश कुमार की मुताबिक सूचना पर इन्द्रजीत के मकान की तस्दीक करायी गयी। फर्द तस्दीक प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से बी सी से डी स्थान पर गवाहान के एवं ई से एफ स्थान पर अभियुक्त राकेश के एवं जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। वाहन आरजे–14 यूजी 7507 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.36 उसने जिला परिवहन अधिकारी, जयपुर से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी रवांजना डूंगर की कार्यवाही के पश्चात वापसी रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 37 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा आर्टिकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर कॉनिस्टेबल धर्मराज के साथ भेजा गया, जिसकी रवानगी एवं वापसी की रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 38, पी 39 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना कॉनिस्टेबल धर्मराज के साथ भेजी गई, जिसकी रवानगी एवं वापसी रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 40, 41 है, जिन पर थानाधिकारी रवांजना डूंगर मुकेश के हस्ताक्षर है। एफएसएल की जॉच रिपोर्ट प्रदर्श पी 42 है जो सीधे ही माननीय न्यायालय में प्राप्त हुई है। अवैध मादक पदार्थ की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (इन्वेन्ट्री रिपोर्ट) प्रदर्श पी 43 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती कृष्णा कांवत के हस्ताक्षर है। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई इन्वेन्ट्री बाबत् जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 44 है जिस पर ए से बी स्थान पर अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती कृष्णा कांवत के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह पहचानता है। इन्वेन्ट्री की कार्यवाही के दौरान लिये गये फोटोग्राफस प्रदर्श पी 45 लगायत पी 55 है, जिन पर ए से बी स्थान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्टट्रेट श्रीमती कृष्णा कांवत के हस्ताक्षर है।

23. अन्वेषण अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 के अनुसार उसने संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त पिन्टू, राकेश, विकेश, राहुल के विरुद्ध अधिनियम की धारा– 8/21 व अभियुक्त इंद्रजीत के विरुद्ध अधिनियम की धारा–8/29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध प्रमाणित पाया था।

24. अन्वेषण अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 के सशपथ कथनों के अनुरूप पी.डब्ल्यू. 15 हुकमाराम ने अभियुक्तगण की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी–34 व पी–35 बनाना कहा है और इन पर अपने हस्ताक्षर होना भी बताया है।

25. पी.डब्ल्यू. 12 बत्तीलाल अनुसंधान अधिकारी भगवानलाल पी.डब्ल्यू.14 द्वारा अभियुक्त इन्द्रजीत को जरिए फर्द प्रदर्श पी–34 गिरफ्तार किया जाना कहता है और उसकी निशादेही से नक्शा मौका प्रदर्श पी–25 तैयार किया जाना कहता है।

26. पी.डब्ल्यू. 13 बलवीर सिंह पुलिस थाना रवांजना डूंगर का तत्कालीन मालखाना प्रभारी है जो जब्ती अधिकारी मुकेश मीणा द्वारा थाना वापसी पर स्वयं को अधिनियम की धारा 55 का नोटिस जब्त माल को मालखाने में जमा करवाने बाबत दिया जाना कहता है और यह गवाह जब्तशुदा पैकेट मार्क A, B, C को पुनः रिसील कर जमा मालखाना किया जाना कहता है। अधिनियम की धारा 55 के नोटिस प्रदर्श पी–20 व मालखाना रजिस्टर के इंद्राज प्रदर्श पी–26 को इस गवाह ने साबित किया है। पी.डब्ल्यू. 4 धर्मराज अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत बंद लिफाफे में सूचना पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को देने जाना कहता है और इस प्रकरण से संबंधित माल दिनांक 03.09.2021 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में जमा करवाकर उसकी रसीद प्रदर्श पी–22 मालखाना प्रभारी को दिया जाना कहता है।

27. अन्वेषण अधिकारी भगवान लाल पी.डब्ल्यू.14 सहित उपरोक्त सभी पुलिसकर्मी साक्षीगण ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अपनी मुख्य परीक्षा के अनुरूप ही कथन किए हैं और इनके संपूर्ण सशपथ कथनों में ऐसी कोई विसंगति सामने नहीं आती है जो इनकी साक्ष्य की सत्यता पर प्रश्नचिंह लगाती हो।

28. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने इन पुलिसकर्मी साक्षीगण के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि घटनास्थल सार्वजनिक स्थान है जहां अनेक स्वतंत्र गवाह उपलब्ध हो सकते थे लेकिन जान बूझकर स्वतंत्र गवाह नहीं बनाकर पुलिसकर्मीगण को ही झूंठी घटना का साक्षी बनाया गया है और यह पुलिसकर्मी रटे रटाये बयान दे रहे हैं जिनके कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

29. जहां तक स्वतंत्र गवाहान की उपलब्धता का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में परीक्षित कराए गए पुलिसकर्मी साक्षीगण के सशपथ कथनों से स्पष्ट है कि स्वतंत्र गवाह बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया था लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। इस तथ्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण भी नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में पुलिस थाने और अदालतों के चक्कर से बचने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी आपराधिक प्रकरण में गवाह बनना नहीं चाहता। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क कि स्वतंत्र साक्षीगण के अभाव में पुलिसकर्मी गवाहों की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, मेरी विनम्र राय में कोई न्यायोचित बल नहीं रखता क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से यह पूरी तरह सुस्थापित है कि पुलिसकर्मीगण की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि वे पुलिसकर्मी हैं। पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि इन पुलिसकर्मीगण या इनमें से किसी भी पुलिसकर्मी की अभियुक्तगण के साथ कोई रंजिश रही हो। अभियुक्तगण की ओर से भी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई बचाव नहीं लिया गया है।

30. अभियुक्तगण की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध किए गए कथनों में यह बचाव लिया है कि टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस ने झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रथमतः तो इस संबंध में पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण आवश्यक रूप से दर्ज करने का कोई टारगेट पुलिस पार्टी को दिया गया था। यदि तर्क के लिए अभियुक्तगण का यह बचाव सही मान लिया जाए तो भी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण का टारगेट तो किसी एक व्यक्ति को 7–8 ग्राम स्मैक का अभियुक्त बनाकर भी पूरा किया जा सकता था। बिना किसी कारण के पुलिस पार्टी को क्या आवश्यकता थी कि वह 4–4 कथित निर्दोष व्यक्तियों से 71.56 ग्राम स्मैक जब्त किया जाना बताती। अतः पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखते हुए यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि अभियुक्तगण को टारगेट पूरा करने के लिए झूठा फंसाया गया था।

31. अभियुक्तगण की ओर से एक बचाव यह लिया गया है कि जब्तशुदा स्मैक जो गाड़ी के डैश बोर्ड में रखी थी, अभियुक्तगण के चैतन्य कब्जे में नहीं थी और अभियोजन पक्ष उक्त जब्तशुदा स्मैक पर अभियुक्तगण का चैतन्य कब्जा साबित नहीं कर सका है। इस क्रम में अभियुक्तगण की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं–

- (2014) 1 DC (नशीले पदार्थ) 390
  भारत संघ बनाम जगवीर सिंह

- 2009) 1 Cr.L.R 717
  ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य

- (2008) MCR 806
  तिरूपति वालाल बनाम महाराष्ट्र राज्य

- (2014) ALLMR (Cr.) 1558
  मीर मुरादली खुर्शीद अली बनाम महाराष्ट्र राज्य

- (2011) 2 RLW 1302
  हुसैन मोहम्मद बनाम राज्य

32. अभियोजन पक्ष की ओर से इस क्रम में प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण दिनेश्वर शाह पी.डब्ल्यू. 8, हरिमोहन पी.डब्ल्यू. 10 व ज्ञान सिंह पी.डब्ल्यू. 16 के सशपथ कथनों एवं अभियुक्त पिंटू कुमार के सगे साले बहादुर सिंह पी.डब्ल्यू. 9 के सशपथ कथनों से यह दर्शित है कि जब्तशुदा गाड़ी संख्या आरजे 14 यूजी 7507 जरिए इकरारनामा प्रदर्श पी–23 अभियुक्त पिंटू कुमार ने खरीद ली थी और उस पर अपना कब्जा प्राप्त कर लिया था। उनमें से पी.डब्ल्यू. 8 दिनेश्वर शाह तो नोटरी व अधिवक्ता है, अतः पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण दिनेश्वर शाह पी.डब्ल्यू. 8, बहादुर सिंह पी.डब्ल्यू. 9, हरिमोहन पी.डब्ल्यू. 10 व ज्ञान सिंह पी.डब्ल्यू. 16 के सशपथ कथनों के आधार पर मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई असुविधा नहीं होती कि वक्त घटना अभियुक्त पिंटू कुमार ही बोलेरो गाड़ी नंबर RJ14 UG 7507 पर बतौर स्वामी कब्जा रखता था। यद्यपि स्वामित्व का परिवहन विभाग के दस्तावेजों में हस्तांतरण नहीं हुआ था परंतु प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से उक्त वाहन पर अभियुक्त पिंटू कुमार का बतौर स्वामी कब्जा होना स्पष्ट है।

33. यह सही है कि मात्र अभियुक्तगण को उस गाड़ी में बैठे होने के आधार पर गाड़ी से बरामद स्मैक का कब्जेधारी नहीं माना जा सकता और इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष के ऊपर है। इस क्रम में यदि जब्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू. 3 व पुलिस पार्टी के अन्य अभियोजन साक्षीगण के मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों का अवलोकन किया जाए तो मुख्य परीक्षा में किए गए इनके सशपथ कथनों से स्पष्ट है कि जब्तशुदा बोलेरो गाड़ी संख्या RJ14 UG 7507 में चारों अभियुक्तगण पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल सवार थे और जब उन्होंने पुलिस पार्टी की नाकाबंदी को देखा तो वे गाड़ी को मोड़ने का प्रयास करने लगे और पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगे। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–16 में गाड़ी मुड़ी हुई नहीं दिखाई गई है परंतु इससे अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि नक्शा मौके में घटनास्थल की स्थिति का विवरण

होता है, गाड़ी कितने अंश के कोण पर किस प्रकार खड़ी हुई थी इसका विवरण नहीं होने मात्र से संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य को झूठलाया नहीं जा सकता।

34. जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू. 3 मुकेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कहा है कि उनके द्वारा स्वयं की तलाशी दी जाकर जब वाहन की तलाशी ली गई तो गाड़ी के डैश बोर्ड में एक सफेद रंग की पारदर्शी थैली मिली जिसमें मटमैले रंग का पदार्थ था एवं मुलजिमान से भी इस बाबत पूछताछ की तो उन्होंने उक्त पदार्थ स्मैक होना बताया। जब्ती अधिकारी द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए इन सशपथ कथनों के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिपरीक्षा अभियुक्तगण की ओर से नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जब्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू. 3 के इन सशपथ कथनों पर अविश्वास किए जाने को कोई कारण नहीं है और जब्ती अधिकारी मुकेश पी.डब्ल्यू. 3 के इन सशपथ कथनों से स्पष्ट है कि वाहन में बैठे अभियुक्तगण को यह जानकारी थी कि वाहन के डैश बोर्ड में स्मैक रखी हुई है। पुलिस नाकाबंदी के समय अभियुक्तगण का गाड़ी मोड़ने का प्रयास करना और पुलिस पार्टी के पूछताछ करने पर हड़बड़ाना भी यह दर्शित करता है कि उनको इस बात की भली भांति जानकारी थी कि उनकी गाड़ी में स्मैक रखी हुई है इसलिए वे पुलिस पार्टी से बचना चाह रहे थें।

35. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को पूर्ण सम्मान देते हुए मेरी विनम्र राय में हस्तगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य को देखते हुए ये न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के लिए सहायक नहीं है एवं पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से यह भली भांति साबित है कि वाहन के डैश बोर्ड से जब्त की गई 71.56 ग्राम स्मैक उक्त वाहन में बैठे अभियुक्त पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व इन्द्रजीत के चैतन्य कब्जे में थी।

36. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण में अधिनियम की धारा–50 व 42 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका ससम्मान अवलोकन किया गयाः–

- (2021) AIR (SC) 1913
  बूटा सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य

- (2010) 88 AIC 28
  करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

- (1999) 2 RCR (Cri.) 853
  सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य

- (1998) Cr.L.J 166
  खुर्शीद अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य

- (2019) 1 RCR (Cri.) 65
  धरमबीर बनाम राज्य

- (2011) 2 RLW 1302
  हुसैन मोहम्मद बनाम राज्य

37. अभियोजन पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में यह भलीभांति स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिनियम की धारा–42 एवं 50 के आज्ञापक प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

38. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य से यह भली भांति स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी अथवा पुलिस पार्टी को अभियुक्तगण के पास मादक पदार्थ होने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी और नियमित गस्त व नाकाबंदी के दौरान वाहन संख्या RJ14 UG 7507 की तलाशी लेने पर उसके डैश बोर्ड से जब्तशुदा स्मैक मिली तथा इसी वाहन में चारों अभियुक्त पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल बैठे हुए थे। स्वीकृत रूप से अभियुक्तगण के शरीर से या उनके पहने हुए कपड़ों से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया। विद्वान लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों–

- Appeal (Cri.) 918 of 1998
  State of Haryana Vs Jarnail Singh and Anr.
  में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2004

- CRM-M 22004 of 2020
  Pushpinder Sing Vs State of Punjab
  में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021

- Appeal (Cri.) 222 of 1997
  State of Himachal Pradesh Vs Pawan Kumar
  में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2005

- 2012(1) CJ(Cri.)(Raj.) 83
  Ramdhan Vs State of Raj.

- 2012(2) CJ (Cri.)(Raj.) 765
  Salim Khan Vs The State of Raj.

- 2011(2) CJ (Cri.)(SC) 456
  Jarnil Singh Vs State of Punjab

- Appeal (Cri.) 396 of 1998
  State of Punjab Vs Baldev Singh
  में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-07-1999

- 2021(1) CJ(Cri.)(SC) 317
  Rizwahan Khan Vs State of Chhattisgarh

की रोशनी में यह पूर्णतया स्थापित है कि हस्तगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 42 एवं 50 के आज्ञापक प्रावधनों की पालना आवश्यक नहीं थी।

39. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्ष्य पर पूर्ण मनन करने और उसके उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त मेरी विनम्र राय में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से यह भलीभांति साबित है कि दिनांक 17.08.2021 को रात्रि 11.30 बजे के लगभग अभियुक्तगण के कब्जेशुदा वाहन संख्या RJ14 UG 7507 से 71.56 ग्राम स्मैक बरामद की गई जो उनके चैतन्य कब्जे में थी व जिसका अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस प्रकार यह विचारणीय बिंदु संख्या 1 अभियोजन के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विचारणीय बिंदु संख्या 2

क्या उपरोक्त बरामद शुदा स्मैक अभियुक्तगण पिंटू, राकेश, विकेश व राहुल को अभियुक्त इन्द्रजीत द्वारा विक्रय की गई थी ?

40. इस बिंदु को साबित करने का भार भी अभियोजन पक्ष के ऊपर था। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह पी.डब्ल्यू. 11 हनुमान सिंह को साक्ष्य में पेश किया गया है जो अपने सशपथ कथनों में कहता है कि उसने ई–मित्र सेवा केंद्र खोल रखा है और इस पर ग्राहक रूपये निकलवाने और डलवाने के लिए आते हैं। इस गवाह के अनुसार दिनांक 17.08.2021 को दोपहर के 02.30 बजे इन्द्रजीत नाम का व्यक्ति रामकेश नाम के व्यक्ति के साथ आया और कहा कि कोई व्यक्ति 41,000/– रुपये डालेगा परंतु यह गवाह स्वयं इन्द्रजीत को नहीं जानता और अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट करता है कि वह नहीं बता सकता कि जो व्यक्ति अपने को इन्द्रजीत बता रहा था वह इन्द्रजीत था या नहीं। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि इस गवाह हनुमान पी.डब्ल्यू. 11 के पास अभियुक्त इन्द्रजीत ही आया था तो भी उसके खाते में 41,000/– रुपये आने मात्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यह राशि जब्तशुदा स्मैक के विक्रय का प्रतिफल थी और इसी के द्वारा

जब्तशुदा स्मैक अभियुक्त पिंटू कुमार वगैरा को विक्रय की गई। पी.डब्ल्यू. 11 हनुमान सिंह के सशपथ कथनों के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त इन्द्रजीत के विरुद्ध ऐसी अन्य कोई सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है जो इस तथ्य को साबित करती हो कि अभियुक्त इन्द्रजीत ने ही अभियुक्त पिंटू वगैरा को जब्तशुदा स्मैक उपलब्ध कराई थी। अतः ऐसी स्थिति में विचारणीय बिंदु संख्या 2 अभियोजन के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

41. विचारणीय बिन्दु संख्या–01 व 02 के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए अभियुक्त पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल उन पर लगाये गये अधिनियम की धारा–8/21 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं एवं अभियुक्त इन्द्रजीत उस पर लगाये गये अधिनियम की धारा–8/29 के अधीन दण्डनीय आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आ दे श

42. परिणामतः अभियुक्त 1. पिन्टू कुमार पुत्र नाहर सिंह निवासी सुपडया का पुरा पिलौदा थाना पिलौदा जिला सवाई माधोपुर, 2. राकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर, 3. विकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर व 4. राहुल पुत्र रामकेश निवासी बाड़ौली पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर को धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है।

43. अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र रामदयाल निवासी हाण्डी पुलिस थाना छीपा बड़ौद जिला बारां को धारा– 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

44. अभियुक्तगण जमानत पर स्वतंत्र हैं। उनकी उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निष्प्रभावी करार दिये जाते हैं तथा अभियुक्त पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस.प्रकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)सवाईमाधोपुर

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया

45. अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल को कड़ी सजा दिये जाने का निवेदन किया जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि उक्त अभियुक्तगण से बरामद स्मैक की मात्रा को देखते हुए उनके प्रति नरम रूख अपनाया जावे।

46. उभय पक्ष को सुनकर अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का विधिक एवं सामाजिक अपराध है जिसके दुष्प्रभाव आज की युवा पीढ़ी पर पड़ रहे हैं और वे नशे की लत का शिकार होकर अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के कब्जे शुदा वाहन से 71.56 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अतः अभियुक्तगण से जब्त स्मैक की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित हैः–

दण्डादेश

47. परिणामतः अभियुक्त 1. पिन्टू कुमार पुत्र नाहर सिंह निवासी सुपडया का पुरा पिलौदा थाना पिलौदा जिला सवाई माधोपुर, 2. राकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर, 3. विकेश कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी नटवाड़ा पट्टी पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर व 4. राहुल पुत्र रामकेश निवासी बाड़ौली पुलिस थाना वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर को धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000/–रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक अभियुक्त तीन माह का कठोर कारावास और भुगतेगा।

48. उपर्युक्तानुसार सजा वारन्ट बनाया जाये । उक्त अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत मूल सजा में समायोजित की जाये।

49. धारा 363 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत अभियुक्तगण पिन्टू कुमार, राकेश कुमार, विकेश कुमार व राहुल को उक्त निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदत्त की जाये ।

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस.प्रकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)सवाईमाधोपुर

50. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 04.07.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस.प्रकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)सवाईमाधोपुर